

कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी।

पत्रांक- २०७ / आठ-वि०भू०अ०अ० (सं०सं०), वाराणसी/

दिनांक: ०२/०२/२०२६

सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारम्भिक अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उ०प्र०) नियमावली-2016 नियम(1) के अधीन सर्व साधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् जनपद वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की लालपुर आवासीय योजना हेतु अधिग्रहित भूमि से आराजी सं०-182/916 (182/916/1) व आराजी सं०-458मि० (458/2) के छुटे हुये क्रमशः रकबा 128.33 वर्गमी० व 67.34 वर्गमी० अर्थात् कुल रकबा 195.67 वर्गमी० की स्थायी भूमि अर्जन की आवश्यकता है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उ०प्र०) नियमावली-2013 की धारा-4 में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही से पूर्व चयनित एजेंसी द्वारा लोकहित में सामाजिक आंकलन SOCIAL IMPACT ASSESSMENT व सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1	अपेक्षक निकाय का नाम	वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी			
2	प्रस्तावित भूमि का उद्देश्य	लालपुर आवासीय योजना हेतु			
3	संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा	कल्याण संस्थान, काजीकापुरा रुदौली, अयोध्या उ०प्र०।			
4	संगठन का सम्पर्क विवरण	काजीकापुरा रुदौली, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत। मो०नं०—9452300103			
भूमि का विवरण					
क्र०सं०	जनपद	तहसील	राजस्व ग्राम	आराजी सख्या	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल वर्गमी० में
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी	सदर	लालपुर मीरापुर बसही	182/916 (182/916/1)	128.33
2				458mi (458/2)	67.34
योग—					195.67
3	प्रस्तावित योजना	वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की लालपुर आवासीय योजना हेतु			
4	उक्त परियोजना से प्रभावित भूमि कास्तकारों द्वारा आपसी समझौते की सहमति के आधार पर क्रय करने में विफल होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम-2013 के तहत अर्जन के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है।				
5	परियोजना क्षेत्र ग्राम—लालपुर मीरापुर बसही, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी से कुल प्रस्तावित रकबा 195.67 वर्गमी०/0.019567 हे०				
6	सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य अधिकतम 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कराया जाना है।				

टिप्पणी:- कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी में सभी कार्य दिवसों में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

आज्ञा से
जिलाधिकारी
वाराणसी।